ब्रिटेन-भारत बाल-सुरक्षा कार्यशाला मुंबई में

ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) के बाल शोषण ऑनलाइन सुरक्षा (सीईओपी) कमांड द्वारा फरवरी, 2015 के दौरान मुंबई, पुणे और दिल्ली सहित भारत भर में बाल-सुरक्षा पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है । मुंबई में इन कार्यशालाओं का संचालन 16 से 20 फरवरी के बीच, नाहर इंटरनेशनल स्कूल, ब्रिटिश काउंसिल और प्रेरणा के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय (एफसीओ) द्वारा वित्तपोषित, इस गतिविधि का उद्देश्य है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा कुछेक उभरती हुई प्रवृत्तियों के बारे में जानकारियों का आदान-प्रदान करना तथा जागरुकता का प्रसार करना। यह प्रॉजेक्ट भारत के साथ ब्रिटेन के पारस्परिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए ऑनलाइन अपराध- खासतौर पर इंटरनेट द्वारा बाल यौनशोषण के क्षेत्र में पारस्परिक रूप से समान खतरों से निपटने के उद्देश्य से प्रेरित है।

2006 से, एनसीए-सीईओपी भारत तथा आसपास के देशों में अपराध से संबद्ध अनेक मामलों से निबटने के लिए प्रतिबद्धतापूर्वक संलग्न रहा है। इन मामलों में विदेशों में ब्रिटिश नागरिकों के अपराध के मामले शामिल हैं और साथ ही अनेक ऐसे मामले भी हैं जहां भारतीय, बांग्लादेशी तथा पाकिस्तानी नागरिकों, निवासियों ने इन संबद्ध देशों से इंटरनेट पर ब्रिटिश पीड़ितों के प्रति अपराध किए हैं।

भारत में सहयोगियों के साथ कार्य करते हुए, एनसीए की इच्छा है कि इस क्षेत्र और ब्रिटेन को बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के संदर्भ में, देश को बाल यौन अपराधों के प्रति अधिक प्रतिरोधी और सुरक्षित बनाने में योगदान करे। संप्रति, भारत के चार राज्यों द्वारा स्कूलों के माध्यम से मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन ये सुरक्षा संदेश से युक्त नहीं हैं और भारत में कई ऐसे मामलों की खबरें हैं जहां स्वयं-निर्मित तस्वीरों के माध्यम से भयादोहन तथा धमकी दी जाती है। इस प्रॉजेक्ट द्वारा भारत भर में एक अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित इंटरनेट समुदाय बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा और इसका लक्ष्य, मौजूदा संचालित सहयोग तथा सुरक्षात्मक सहभागिता को और भी मजबूती प्रदान करना है।

जबकि भारत में, एनसीए-सीईओपी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), पुणे रॉटरी क्लब गांधी भवन आरआईडी 313, स्थानीय चैरिटी प्रेरणा, नाहर इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई, ब्रिटिश स्कूल, नई दिल्ली तथा ब्रिटिश काउंसिल के साथ सहभागिता कर रहा है, जिसके मध्यम से स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा संचालित एक समन्वित ऑनलाइन सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से, भारत में कानून लागू करनेवाले अधिकारी, बाल सुरक्षा पेशेवर, चैरिटी संस्थाएं, स्कूल तथा सरकारी अभिकरण लाभान्वित होंगे।

इस कार्यक्रम की अभिकल्पना इस प्रकार की गई है जिससे, भारत में बच्चों तथा युवा वर्ग के सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हो, जिसके माध्यम से वे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह के अनेक जोखिमों से खुद को बचा सकें- जिनमें यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार के भी शामिल हैं; भारत की विधि प्रवर्तन संस्थाओं के साथ हमारी सहभागिता मजबूत हो, तथा भारत को बाल यौन अपराधों की दृष्टि से एक अधिक प्रतिरोधक (सुरक्षित) स्थान बनाया जा सके।

मुंबई कार्यशाला: बच्चों की सुरक्षा (सेफगार्डिंग चिल्ड्रेन)

प्रतिनिधियों के लिए बच्चों की सुरक्षा (सेफगार्डिंग चिल्ड्रेन) कार्यशाला के उद्देश्य हैं:

- भारत में बाल यौन शोषण के ऑन लाइन और ऑफ लाइन संदर्भों को समझना।
- बच्चों, युवाओं और अभिभावकों को एनसीए-सीईओपी शिक्षण संसाधनों द्वारा समर्थित 45 सूक्ष्म सबक योजना (माइन्यूट लेशन प्लान) प्रदान करना।
- अन्य उपयुक्त सहयोगियों में जागरुकता जगाना।
- सुरक्षित रहने हेतु बच्चों और युवाओं को सशक्त बनना।

अपेक्षित परिणाम ये होंगे कि कार्यशाला के सहभागी बच्चों और युवाओं में जोखिम और अवसरों के बारे में अन्य पेशेवर लोगों को ऑनलाइन शिक्षित कर सकते हैं ताकि वे युवाओं के साथ, उनके द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली गतिविधियों के बारे में, संवाद करने में अधिक सहज और सुविधाजनक महसूस करें, यह जानें कि भारत में उपलब्ध व्यवस्था में सहायता देने के लिए किस प्रकार युवाओं को संकेत दिया जाए और युवा कैसे अपने को ऑनलाइन सुरक्षित रखें इस बारे में युवाओं के साथ उनकी चर्चा में आगे और सहयोग प्रदान करना।

ये कार्यशालाएं भारत में ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में गहन वार्ता शुरू करने में मदद करेंगी, ऑनलाइन दुनिया के संदर्भ में वयस्कों और बच्चों के बीच अवरोधों को तोड़ने में मदद करेंगी और इस बारे में भी मदद करेंगी कि यदि ऑनलाइन कुछ गड़बड़ हो उसकी रिपोर्ट कैसे की जाए और आखिरकार भारत भर में बच्चों की सुरक्षा में मदद करना।

आगे की जानकारी:

1. मीडिया जानकारी के लिए कृपया पश्चिमी भारत, ब्रिटिश काउंसिल की सीनियर मैनेजर मार्केटिंग & कम्युनिकेशंस, रेणुका रुबेन से 9820843608 पर संपर्क करें। एनसीए-सीईओपी यूके के बारे में जानकारी के लिए कृपया प्रेस कार्यालय को ईमेल करें या
00 44 207979 5835 पर नेशनल क्राइम एजेंसी के प्रेस कार्यालय से संपर्क करें। प्रेरणा के काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया उमा सुब्रमण्यम से संपर्क करें।

2. नेशनल क्राइम एजेंसी (एनसीए) अपराध से लड़ने वाली ब्रिटेन की एक एजेंसी है जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच है और गंभीर एवं संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए इसके पास कानून को पूरी तरह लागू करने हेतु अन्य विधि प्रवर्तन संगठनों के साथ साझेदारी में काम करने की शक्ति है।

3. बच्चों के लिए मुख्य खतरों की पहचान करने तथा अपराधियों को कानून के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एनसीए का सीईओपी कमांड ब्रिटेन और विदेशों में बाल सुरक्षा एवं कानून प्रवर्तन करने वाले साझेदार संगठनों के साथ काम करता है।

4. अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नेटवर्क (आईसीपीएन) विशेषज्ञता साझा करने, जानकारी जुटाने और अपराधी के अवसरों को सीमित करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र से विशेषज्ञों को एकजुट करता है। आईसीपीएन दुनिया के बहुत से हिस्सों में सक्रिय है जहां इसने साझेदारी और ज्ञान ने निर्माण के काम किया है और जहां, अनुभव से हम जानते हैं कि बच्चों को निशाना बनाया जाता है, खासकर अपराधियों द्वारा ब्रिटेन से यात्रा करते हुए।

5. 2010 में आईसीपीएन के शुरु होने के बाद से सीईओपी कमांड ने बाल सुरक्षा कार्यशालाओं और जागरुकता पैदा करने वाले सत्रों का आयोजन कर यूरोप, दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशिया में प्रत्यक्ष रूप से 2010 बहु-क्षेत्रीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया। सीईओपी के अधिकारियों ने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच सहित जोखिम वाले क्षेत्रों पर ज्ञान और समझ बढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों के जरिए 420 कानून प्रवर्तन पेशेवरों को प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया है।

6. एनसीए वर्चुअल ग्लोबल टास्कफोर्स का सदस्य है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस, अमेरिका का इमिग्रेशन और कस्टम प्रवर्तन, इटली की नेशनल पोस्टल एंड कम्युनिकेशन पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एवं इंटरपोल भी शामिल हैं।

ब्रिटिश उप-उच्चायोग, संचार एवं जनसंपर्क विभाग
नमन चैंबर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई-400051
फोन: 022 6650 2236 / 5 फैक्स: 022 6650 2341. वेबसाइट: www.gov.uk/world/india